भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 943
जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

विधिक सहायता सेवाएँ

943. श्री कंवर सिंह तंवर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नागरिकों को समय पर और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए जिला न्यायालयों में विधिक सहायता सेवाओं और अवसंरचना में सुधार करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो जिले में उन्नत किए गए न्यायालयों, स्थापित विधिक सहायता केंद्रों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए, बनाया गया था, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले हिताधिकारी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न किया जाए, और विवादों के सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालतें आयोजित की जाएं।

नागरिकों को समय पर और प्रभावी रुप से न्याय दिलाने के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा, उत्तर प्रदेश की देखरेख में 16 विधिक सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पैनल वकीलों और विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउन्सेल की मदद से, वर्ष 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) के दौरान 458 नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई।

****